



राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Tele: 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website :www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक.एफ. 56 (क)0सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022-23 / 1346

दिनांक: 10.02.2023

कार्यालय आदेश

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु अजमेर, उदयपुर एवं जयपुर संभाग की नगरीय निकायों में नव नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एमआईएस मैनेजर एवं शहरी रोजगार सहायक एवं संभाग स्तर के समस्त आयुक्त/अधिक्षाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, अधीक्षण अभियन्ता, अधिक्षाधी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, लेखाधिकारी/लेखाकारों का प्रशिक्षण कार्यशाला संभाग मुख्यालय पर अंकित दिनांक को निम्नानुसार किया जाना है:-

क्र. सं.	संभाग	जिला	प्रशिक्षण की दिनांक	प्रशिक्षण स्थल	समय
1.	अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक	17.02.2023	अजमेर	प्रातः 10:00 से
2.	उदयपुर	उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद	23.02.2023	उदयपुर	
		बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़	24.02.2023		
2.	जयपुर	झुंझुनू, सीकर	13.03.2023	सीकर	
		दौसा, अलवर	17.03.2023	अलवर	
		जयपुर	28.03.2023	निदेशालय, जयपुर	

उक्त कार्यशाला में राज्य स्तर से परियोजना निदेशक (IRGY-U), अतिरिक्त परियोजना निदेशक, मुख्य लेखाधिकारी एवं सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा पोर्टल एवं योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जावेगा। अजमेर, उदयपुर एवं जयपुर संभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक इस कार्यशाला हेतु उपयुक्त स्थान का चयन करें, जहां पर पर्याप्त बैठक, एलईडी स्क्रीन, मार्क इत्यादि की व्यवस्था एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। निदेशालय स्तर से प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों के द्वारा प्रयुक्त टैक्सी वाहन के भुगतान स्वीकृति मुख्यालय की नगरीय निकाय द्वारा किये जाने की एतद् प्रदान की जाती है।

(ह्रिदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक.एफ.56 (क)0सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022-23 / 1346-1493

दिनांक: 10.02.2023

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक (IRGY)/अतिरिक्त परियोजना निदेशक/वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी को उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जाकर प्रशिक्षण दिये जाने बाबत।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर, अजमेर एवं उदयपुर, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण कार्यशाला में आपके क्षेत्राधिकार से संबंधित समस्त नगरीय निकायों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित आयुक्त/अधिक्षाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, जयपुर, अजमेर एवं उदयपुर सम्भाग राजस्थान को पालनार्थ।
7. प्रबंधक, सर्किट हाउस उदयपुर/अजमेर/सीकर/अलवर को प्रस्तावित दिनांक को परियोजना निदेशक (IRGY), अतिरिक्त परियोजना निदेशक एवं लेखाधिकारी के लिए कमरों का आरक्षण किये जाने बाबत।
8. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Document certified by Hridesh Kumar
Sharma <hridesh_05@yahoo.com>

1

Digitally Signed